

**न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि**

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>9 <math>\frac{12}{25}</math></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर श्री वारीगण एवं उनके अप्रियमता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 39/2019 उमवान रामराज बनाम पन्हुआन दावा बाबत तकास्मा आराजीयात एवं श्यामी निषेधाना अरम पैरती अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होरद बार तमील नं. से कम की जाऊद काखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कॉर्ट)